Received- 18/5/18

उपायुक्त का कार्यालय (कल्याण शाखा) गिरिडीह।

आवश्यक सूचना

सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछडी जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृति/साईकिल की राशि DBT किया जाना है जिसके लिए कार्य अवधि निर्धारित किया जा रहा है।

1. वर्ग 1 में पढने वाले छात्र/छात्राओं की छात्रवृति हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति का बैंक का नाम, खाता सं0, शाखा का नाम, आई0एफ0सी0 कोड एवं कोटिवार (अनु0 जाति/जनजाति/पिछडी जाति) नामांकित छात्र संख्या के साथ दिनांक 30 जुन 2018 तक प्र0 शि0 प्रसार पदा0/प्र0 क0 पदा0 देवरी/तिसरी/जमुआ के कार्यालय में अनिवार्य रूप से (सी.डी. सोफ्ट वेयर एवं हार्ड कॉपी के साथ) जमा करना है।
2. वर्ग 2 से 10 में पढने वाले छात्र/छात्राओं की छात्रवृति हेतु विहित प्रपत्र (Excel) में तैयार कर हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0) के साथ 30 जुन 2018 तक प्र0 शि0 प्रसार पदा0 के कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करना है।
3. वर्ग 8 में पढने वाले छात्र/छात्राओं को साईकिल वितरण हेतु विहित प्रपत्र (प्री–रिसिप्ट) में भर कर हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0) के साथ 30 जुन 2018 तक प्र0 शि0 प्रसार पदा0 के कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करना है।
4. सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि प्राप्त स्कूलों से छात्रवृति एवं साईकिल हेतु हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0) के साथ 05 जुलाई 2018 तक जिला कल्याण कार्यालय, गिरिडीह में संकलित कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

जिला कल्याण पदाधिकारी,
गिरिडीह।

ज्ञापांक....................../क0 दिनांक ....

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला कल्याण पदाधिकारी,
गिरिडीह।

ज्ञापांक 601 /क0 दिनांक 16/05/2018

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक सूचना को जिला के बेबसाईट पर pdf अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित।

16/5/2018

जिला कल्याण पदाधिकारी,
गिरिडीह।

RP LE./DOX